झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

संकल्प

विषय :– विभागाधीन अतिरिक्त आँगनबाड़ी सेविका–सह–पोषण परामर्शी (पोषण सखी) के पुनर्बहाली संबंधी निर्गत संकल्प सं०–2103, दिनांक–30.08.2024 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति।

विभागीय संकल्प सं०–2103, दिनांक–30.08.2024 के माध्यम से विभागाधीन पूर्व में कार्यरत अतिरिक्त आँगनबाड़ी सेविका–सह–पोषण परामर्शी (पोषण सखी) के पुनर्बहाली की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त संकल्प के निम्न कंडिकाओं में प्रावधानित है कि :–

(i) ***कंडिका–10 (i)*** – वित्तीय वर्ष–2022–23 तक नियमसम्मत रूप से चयनित एवं उक्त वित्तीय वर्ष–2022–23 में कार्यरत अतिरिक्त आँगनबाड़ी सेविका–सह–पोषण परामर्शी (पोषण सखी) को पुनर्बहाल किया जायेगा। पोषण सखियों के रिक्त पदों पर नवीन चयन नहीं की जायेगी ;

(ii) ***कंडिका–10 (ii) B*** – उक्त समिति द्वारा पुनर्बहाली हेतु कार्यरत रही पोषण सखी की सूची प्रारूपित की जायेगी जिसमें :–

क) वित्तीय वर्ष–2022–23 तक नियमसम्मत रूप से चयनित ;
ख) वित्तीय वर्ष–2022–23 में कार्यरत ;
ग) पुनर्बहाली (निर्धारित शर्त्तों के तहत्) हेतु इच्छुक, स्वस्थ तथा 60 वर्ष से कम आयु की उक्त कंडिका–ख में वर्णित पोषण सखी ;
घ) आवश्यक अन्य शर्त्तो, जैसा उक्त समिति उचित समझे ;

– आधारित तथ्य एवं सूचनाएँ सन्निहित होंगे।

3. उल्लेखनीय है कि विभागीय संकल्पांक–720, दिनांक–24.03.2022 द्वारा इन अतिरिक्त आँगनबाड़ी सेविका–सह–पोषण परामर्शी (पोषण सखी) सेवा दिनांक–01.04.2022 के प्रभाव से समाप्त की गई थी। अर्थात आँगनबाड़ी सेविका–सह–पोषण परामर्शी (पोषण सखी) वित्तीय वर्ष–2021–22 तक की अवधि में ही कार्यरत रहीं थी अतएव उक्त विभागीय संकल्प सं०–2103, दिनांक–30.08.2024 के कंडिका– 10 (i) तथा कंडिका–10 (ii) B में अंकित त्रुटिपूर्ण अवधि वित्तीय वर्ष–2022–23 में संशोधन कर वित्तीय वर्ष–2021–22 का प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

4. वर्णित परिप्रेक्ष्य में विभागीय संकल्प सं०–2103, दिनांक–30.08.2024 के कंडिका–10 (i) तथा 10 (ii) B को निम्नवत् प्रतिस्थापित की जाती है :–

(i) ***कंडिका–10 (i)*** – वित्तीय वर्ष–2021–22 तक नियमसम्मत रूप से चयनित एवं उक्त वित्तीय वर्ष–2021–22 में कार्यरत अतिरिक्त आँगनबाड़ी सेविका–सह–पोषण परामर्शी (पोषण सखी) को पुनर्बहाल किया जायेगा। पोषण सखियों के रिक्त पदों पर नवीन चयन नहीं की जायेगी ;

(ii) *कंडिका–10 (ii) B* – उक्त समिति द्वारा पुनर्बहाली हेतु कार्यरत रही पोषण सखी की सूची प्रारूपित की जायेगी जिसमें :–

क) वित्तीय वर्ष–2021–22 तक नियमसम्मत रूप से चयनित ;

ख) वित्तीय वर्ष–2021–22 में कार्यरत ;

ग) पुनर्बहाली (निर्धारित शर्त्तों के तहत्) हेतु इच्छुक, स्वस्थ तथा 60 वर्ष से कम आयु की उक्त कंडिका–ख में वर्णित पोषण सखी ;

घ) आवश्यक अन्य शर्त्तो, जैसा उक्त समिति उचित समझे ;

– आधारित तथ्य एवं सूचनाएँ सन्निहित होंगे।

5. एतद् संबंधी पूर्व निर्गत विभागीय संकल्प सं०–2103, दिनांक–30.08.2024 इस हद तक संशोधित होंगे।

6. एतद् संशोधन दिनांक–30.08.2024 की तिथि से प्रभावी होंगे।

7. विभागीय संकल्प सं०–2103, दिनांक–30.08.2024 के कंडिका–10 (iv) तथा 10 (v) के प्रावधानित शर्त्तों के अंश यथा–

" इन कर्मियों को पुनर्बहाली उपरांत योगदान की तिथि से मानदेय भुगतान किया जायेगा एवं दिनांक–01.04.2022 से इस योगदान की तिथि के मध्य की अवधि के मानदेय संबंधी किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।

इन कर्मियों को विभागीय संकल्पांक–2126, दिनांक–21.09.2015, संकल्पांक–2620, दिनांक–03.12.2015 तथा एतद् अनुक्रमण में दिनांक–24.03.2022 के पूर्व निर्गत राज्य सरकार के विभिन्न आदेशों द्वारा निर्धारित पूर्व प्रदत्त सुविधाएँ प्रदत्त होंगी। "

–के दृष्टिगत् स्पष्ट है कि उपर्युक्त स्वीकृति से राज्य कोष पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। उपर्युक्त स्वीकृति से विभागीय संकल्प सं०–2103, दिनांक–30.08.2024 के मूल अवधारणा/उद्देश्य अप्रभावित रहेंगे।

8. एतद् पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक–08.10.2024 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या–47 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

09/10/24

(मनोज कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 05/म०बा०/पोषण सखी चयन–574/2015–2530 **राँची, दिनांक :–** 09-10-2024

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई० गजट को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

09/10/24

(मनोज कुमार)
सरकार के सचिव

C:\Sankalp\Sanlekh Poshan Sakhi..Docx-8

ज्ञापांक : – 05 / म०बा० / पोषण सखी चयन–574 / 2015–2530 राँची, दिनांक :– 09-10-2024

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / मुख्य सचिव, झारखण्ड / सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष, झाखण्ड, राँची / सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड / महानिदेशक, झारखण्ड राज्य पोषण मिशन, राँची / निदेशक, झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था, राँची / निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड, राँची / परियोजना निदेशक, झारखण्ड महिला विकास समिति, झारखण्ड, राँची / निःशक्तता आयुक्त, राज्य निःशक्तता आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड, राँची / सभी उपायुक्त, झारखण्ड / सभी उप विकास आयुक्त, झारखण्ड / माननीया विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड / सभी सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, राँची / सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड / सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड / सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/10/24

(मनोज कुमार)
सरकार के सचिव

C:\Sankalp\Sanlekh Poshan Sakhi..Docx-9